झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या......60...... वर्ष 20..23..

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता चमेली देवी,
उपमुखिया, पं०-हरप्रसाद,
पो०-रामपुर, साहेबगंज

बनाम

प्रतिवादी DSO, साहेबगंज ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–60/2023

परिवादी श्रीमती चमेली देवी, उप मुखिया, ग्राम+पंचायत–हरप्रसाद, पो0–रामपुर, थाना+जिला–साहेबगंज का परिवाद–पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त परिवाद–पत्र में राशन डीलर श्री गोपाल प्रसाद साह, अनुज्ञप्ति सं0–99/91 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा PMGKAY मद के अवशेष बचे खाद्यान्न को टैग राशन डीलर, श्री राजेन्द्र प्रसाद साह को उपलब्ध कराने का निर्देश दिये जाने के बावजूद उक्त मामले में राशन डीलर श्री गोपाल प्रसाद साह द्वारा खाद्यान्न देने से मना कर दिये जाने एवं खाद्यान्न की कालाबाजारी कर दिये जाने का आरोप परिवादी द्वारा लगाया गया है।

परिवादी द्वारा लाभुकों के हिस्से का खाद्यान्न कालाबाजारी कर दिये जाने के आरोप में राशन डीलर, श्री गोपाल प्रसाद साह, अनुज्ञप्ति सं0–99/91 के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–31.10.23 को निर्धारित की जाती है।

प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ताओं को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–31.10.23 को अपराह्न 12.00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx67

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–60/2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती चमेली देवी, उपमुखिया, पंचायत–हरप्रसाद, पो0–रामपुर, जिला–साहेबगंज अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में अनुपस्थित।	
	आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज का एक पत्र उपलब्ध है जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य के आधार पर सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित करने का आग्रह आयोग से किया है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के आग्रह स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 निर्धारित करता है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि शिकायतकर्त्ता श्रीमती चमेली देवी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के विरूद्ध की गई कार्रवाई एवं शिकायतकर्त्ता को जिस अवधि का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उस अवधि का अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण आयोग को समर्पित करें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज को निर्देश देता है कि शिकायतकर्त्ता के पत्र में जिन समस्याओं का उल्लेख किया गया है। उसके समाधान कर दिये जाने का प्रमाण भी आयोग के अभिलेख में अगली सुनवाई में प्रस्तुत करे। अगली सुनवाई तक यदि आज के पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा।	
	मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें।	
	Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	
	Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–60 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्रीमती चमेली देवी, उपमुखिया, पंचायत–हरप्रसाद, पो0–रामपुर, जिला–साहेबगंज टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, साहेबगंज आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी और शिकायतकर्ता का भी लिखित प्रतिवेदन उपलब्ध है, जिसमें शिकायतकर्ता ने इस बात का उल्लेख किया है कि उनकी शिकायत का निवारण कर दिया गया है और वे शिकायत निवारण से संतुष्ट हैं। शिकायतकर्ता और जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx132	